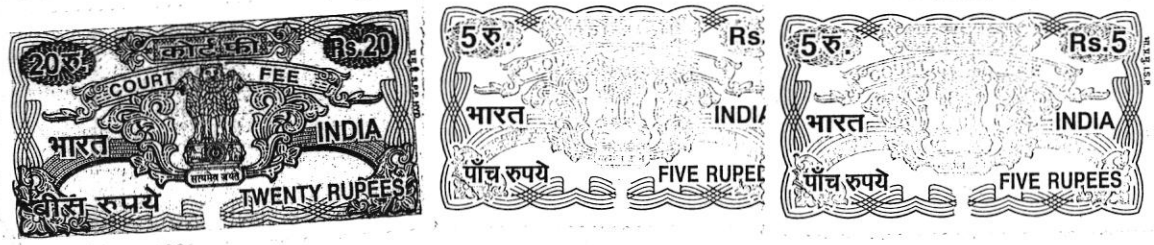

(64)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी /2016 निग – 809 – III-16

1. रामचरण पुत्र पन्नालाल केवट
2. कैलाश पुत्र रामचरण
3. गज्जू पुत्र रामचरण
4. भैययन पुत्र रामचरण

सभी निवासीगण ग्राम मुहारीकलां तहसील खनियाधाना शिवपुरी (म.प्र.)

.... आवेदकगण

दिनांक 8-3-16 को श्री प्रदीप श्रीवास्तव अधि. द्वारा प्रस्तुत। 8-3-16 SO

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन
2. अशोक कुमार जैन पुत्र कपूर चन्द जैन

निवासी– ग्राम मुहारीकलां तहसील खनियाधाना शिवपुरी (म.प्र.)

.... अनावेदकागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध तहसीलदार खनियाधाना, जिला शिवपुरी के न्यायालय के प्रकरण क्र. 58/15–16/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2016

माननीय महोदय,

आवेदकगण की निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा आवेदक व अनावेदक क्र. 2 को धारा 250 के तहत खसरा नं. 112 रकवा 0.45 हैक्टयर ग्राम मुहारीकलां तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी को कारण बताओ नोटिस दिया जिसमें तारीख पेशी दिनांक 13.11.15 नियत की गई।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 809–तीन/16 जिला – शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–1–18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव एवं अनावेदक कमांक 1 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित । उभयपक्षों को ग्राह्यता पर सुना गया । 2/ उभयपक्षों द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण अतिक्रमण के संबंध में है ।आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार ने आलोच्य आदेश दिनांक 19–1–16 के द्वारा आवेदक का अवैध अतिक्रमण पाए जाने के कारण एक लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित करते हुए भूमि से बेदखली के आदेश दिए गए हैं और यह भी आदेश दिए हैं कि कब्जा न हटाने एवं अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में सिविल जेल की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये । दिनांक 19–1–16 से लेकर अब तक प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता तर्कों के दौरान स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में प्रथमदृष्टया कोई अवैधता या अनियमितता प्रतीत नहीं होती है, जिस कारण निगरानी ग्राह्य की जा सके । अतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य,	